भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1052
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम

1052. **श्री यूसुफ पठान:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान बाल कुपोषण, बौनेपन और एनीमिया के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) चिन्हित किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त के संबंध में क्या सुधार किए गए हैं; और
(घ) उक्त रोगों के संबंध में बड़ी संख्या वाले जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित मिशन है, जिसमें विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। इस मिशन को देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें अधिक दबाव वाले जिले भी शामिल हैं। इस

मिशन के लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) हैं।

मिशन के अंतर्गत दो लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर पोषण प्रदान करने और ईसीसीई गतिविधियों के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नयन करने के लिए स्वीकृत किया गया है। ये आंगनवाड़ी केंद्र एलईडी स्क्रीन, जल निस्पंदन प्रणाली, पोषण वाटिका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) सामग्री और बिल्डिंग एज लर्निंग एड (बाला) पेंटिंग जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में दिए गए पोषण संबंधी मानदंडों के अनुसार, बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है। इन मानदंडों में जनवरी 2023 में परिवर्तन किया गया था। पुराने मानदंड मुख्य रूप से कैलोरी पर केंद्रित थे; हालाँकि, नए मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित हैं तथा अनुपूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों ही मामलों में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अनुपूरक पोषण (टेक होम राशन) भी दिया जाता है।

मंत्रालय द्वारा इस योजना की आईसीटी आधारित निगरानी उपकरण डिजिटल एप्लिकेशन 'पोषण ट्रैकर' का उपयोग करके डिजिटल रूप से निगरानी और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यह एप्लिकेशन आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी), आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और लाभार्थियों का परिभाषित संकेतकों पर डेटा की तत्समय प्रविष्टि और सभी गतिविधियों की ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। पहचान किए गए लाभार्थियों और सुधारों का राज्य-वार विवरण सुगम पोषण ट्रैकर के लिंक https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर कुपोषण को रोकने और उसका उपचार करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने हेतु बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर कुपोषण वाले बच्चों का समय पर पता लगाना और जांच करना, जिन्हें कोई

चिकित्सा जटिलता नहीं है उनके घर पर स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों और सहायक चिकित्सा देखभाल के माध्यम से उपचार की संपूर्ण व्यवस्था करना शामिल है।

इस मिशन के तहत, पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक है सामुदायिक जुटाव और जागरूकता बढ़ाना क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन-आंदोलनों के तहत नियमित रूप से जागरुकता कार्यक्रम चला रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण संबंधी प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति की भूमिका निभाई है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

नीति आयोग द्वारा 2020 में पोषण अभियान का एक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन किया गया था और देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता को संतोषजनक पाया गया है। नीति आयोग ने 2025 में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का परिणाम-आधारित मूल्यांकन भी किया है। संस्थागत आकलन और घरेलू सर्वेक्षणों से मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि 'मिशन पोषण 2.0' एकीकृत और मजबूत दृष्टिकोण के साथ पिछले कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अपने मौजूदा रूप में कुपोषण से समग्र रूप से निपटने और बच्चों के विकास को बढ़ावा देने का सरकार का नवीनतम प्रयास है। इसके अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों के मोर्चे पर, 6-59 महीने की आयु के बच्चों में एनीमिया की व्यापतता में 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो आयरन-फोलिक एसिड पूरक, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के संभावित प्रभाव तथा एसएनपी और संबंधित कार्यक्रमों के तहत बेहतर पहुंच को दर्शाता है।
